राजस्व वाद 243/2021
जीसीएमएस नंबर–
कानदास बनाम् छोटूराम

न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी जायल, जिला नागौर

पीठासीन अधिकारी :– रवीन्द्र कुमार, आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :243/2021

वादीगण–

1. कानदास पुत्र हनुमानदास , जाति–साद निवासी– बोसेरी, तहसील जायल (नागौर)

बनाम

प्रतिवादीगण –

1. छोटुदास पुत्र हनुमानदास
2. श्रवण कुमार पुत्र हनुमानदास
3. मदनलाल पुत्र हनुमानदास
4. सत्यनारायण पुत्र हनुमानदास
5. पुखराज पुत्र हनुमानदास
6. हनुमानदास पुत्र रामसुखदास
   निवासीगण–बोसेरी, जातियान–साद, तहसील–जायल, नागौर।
7. तहसीलदार जायल जरिये सरकार।

सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ.), जायल

उपस्थिति :–

1. श्री रामप्रकाश बेंदा अधिवक्ता वादी की ओर से
2. श्री गोविन्दराम ढाका अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 1 से 6 की ओर से।
3. प्रतिवादी संख्या 7 राजपैरोकार उपस्थित

दावा अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

निर्णय दिनांक : 17.11.2021

वादपत्र का संक्षिप्त विवरण एवं तथ्य इस प्रकार है कि वादी द्वारा एक वादपत्र अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत जरिये अधिवक्ता पेश किया। वादी ने निवेदन किया कि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 6 के बडेर की पुस्तैनी भूमि मौजा बोसेरी तहसील जायल में खेत खसरा नं. 241/104 रकबा 0.2914 हैक्टेयर, खसरा नंबर 356/104 रकबा 1.4892 हैक्टेयर व खसरा नंबर 357/187 रकबा 5.8598 हेक्टेयर रहती चली आई है। वादी वादपत्र के पैरा संख्या 2 में वर्णित खेताय जो वादी संख्या 1 व प्रतिवादी संख्या 1 से 5 के पिता प्रतिवादी संख्या 6 के नाम दर्ज खातेदारी भूमि है जो पुश्तैनी बडेर की भूमि होने से वादी का हक अधिकार रहता रहा है। वादी एवसं प्रतिवादी संख्या 1 से 5 का नाम खातेदारी में दर्ज नहीं होने से व जन्म से हक अधिकार होने पर भी खातेदारी भूमि में नाम दर्ज नहीं होने तथा राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद नहीं होने तथा सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाने के कारण वाद पत्र प्रस्तुत किया है जिसे माफिक वादपत्र स्वीकार किया जाकर वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 5 को प्रतिवादी संख्या 6 के साथ सहखातेदार घोषित किया जाकर डिक्री किया जावे तथा तहसीलदार जायल को राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद हेतु तहरीर जारी करे।

17.11.2021
सहायक कलेक्टर
(एस.डी.ओ.) जायल

Scanned with CamScanner

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया प्रतिवादीगण को जरिये समन तलब किया गया। वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 से 6 ने दिनांक 17.11.2021 को प्रशासन गांवों के संग अभियान कैम्प शिविर ग्राम पंचायत आवंलियासार में पेश किया। जिसमें वादी की पहचान अधिवक्ता श्री रामप्रकाश बेंदा ने तथा प्रतिवादी संख्या 1 से 6 की पहचान अधिवक्ता श्री गोविन्दराम ने की। राजीनामा शामिल पत्रावली किया गया। हस्तगत प्रकरण में प्रतिवादी संख्या 7 स्वयं प्रशासन गांवों के संग अभियान कैम्प कोर्ट में उपस्थित है, जो वाद पत्र में केवल परफोर्मा पक्षकार है। प्रतिवादीगण संख्या 1 से 6 द्वारा प्रकरण के संबंध में राजीनामा पेश होने तथा प्रतिवादी संख्या 7 केवल परफोर्मा पक्षकार पेश होने के कारण प्रकरण में विवाद्यक बिन्दू (तनकीयात्) की आवश्यकता नहीं होने से तय नहीं किये गये तथा पत्रावली साक्ष्य वादी हेतु नियत की गई।

वाद पत्र में दस्तावेजी साक्ष्य के सबूत के तौर पर शपथ पत्र गवाह कानदास पुत्र हनुमानदास नकल जमाबन्दी ग्राम बोसेरी तहसील–जायल सम्वत् 2073–2076 खाता संख्या 362 प्रदर्श–1 पेश हुवे, खाता पास बुक 9/08.06.2013 राजस्व बन्दोबस्त की कालवधि 2068–2071 पास बुक। अधिवक्ता वादी द्वारा ओर साक्ष्य पेश नही करने के निवेदन पर साक्ष्य वादी बंद की गई। चूंकि प्रकरण हाजा में प्रतिवादी संख्या 1 से 6 द्वारा पत्रावली में जरिये राजीनामा वाद पत्र को स्वीकार किया गया है। इसलिए प्रतिवादी साक्ष्य नहीं करवाने के निवेदन पर प्रतिवादी साक्ष्य बंद की जाकर पत्रावली बहस हेतु नियत की गई।

उभय पक्षकारान एवं अधिवक्ता की बहस सुनी गयी। वादी पक्ष के अधिवक्ता ने निवेदन किया है कि वाद पत्र को माफीक राजीनामा में वर्णित पैराज माफिक स्वीकार किया जाने का निवेदन किया। हस्तगत प्रकरण में प्रतिवादीगण सं. 1 से 6 के हक बंट की भूमि का जरिये राजीनामा आपसी सहमति बंटवारा होने की बात को स्वीकारा है तथा माफिक राजीनामा वाद पत्र को डिक्री किये जाने में अपनी सहमति व्यक्त की है तथा मुतदाविया खेताय की भूमि पुश्तैनी है तथा पक्षकारान् का कब्जा काश्त भी पेश किया है। अतः वाद पत्र में वर्णित खेताय का प्रस्तुत राजीनामा दिनांक 17.11.2021 के अनुसार स्वीकार किया जावे तथा तहसीलदार जायल को माफिक बंटवाड़ा राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद हेतु तहरीर जारी की जाने का निवेदन अधिवक्ता उभय पक्षकारान् ने किया।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। वादी के वादपत्र, जमाबन्दी, शपथ पत्रादि व वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 से 6 के द्वारा प्रस्तुत राजीनामा पर मनन किया गया। प्रतिवादी संख्या 7 राजपैरोकोर को केवल परफोर्मा पक्षकार बनाया गया है। बंटवाडे के वादपत्र में जमाबंदी के अनुसार समस्त खातेदारान पक्षकार के रूप में संयोजित किये जाने अपेक्षित होते है। प्रत्येक खातेदार काश्तकार का वादग्रस्त खेतायों की भूमि में पृथक–पृथक हिस्सा अंकित है जिसके अनुसार वादीगण एवं प्रतिवादीगण अपने–अपने हिस्से व बंट अनुसार अलग–अलग खातेदारी राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज कराने के अधिकारी है साथ ही वादपत्र में

सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.) जायल

Scanned with CamScanner

राजस्व वाद 243/2021
जीसीएमएस नंबर–
कानदास बनाम् छोटूराम

प्रस्तुत राजीनामा दिनांक 17.11.2021 में वादी तथा प्रतिवादीगण संख्या 1 से 6 ने आपसी सहमति के अनुसार खातेदारी घोषणा तथा माफिक काबिज काश्त होना स्वीकार किया है व वाद पत्र को डिक्री किये जाने में अपनी सहमति व्यक्त की है। हमारी राय में मौजा बोसेरी के वादग्रस्त खेतायों में सहखातेदार के रूप में संयोजित खातेदार अपने–अपने हिस्से का नियमानुसार सहखातेदारी करवा सकते है, चूंकि वादग्रस्त खेतायों में पक्षकारान द्वारा खसरा नं. 241/104, 356/104, 357/187 की भूमि में प्रतिवादी संख्या 6 के साथ वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 5 ने सहखातदेारी की इस्तदुआ चाही है। अतः मौजा बोसेरी के खेत खसरा नंबर 241/104, 356/104, 357/187 में वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 5 को प्रतिवादी संख्या 6 के साथ सहखातेदार घोषित कर हम वादी का वाद स्वीकार कर अंतिम डिक्री किया जाना उचित समझते है।

– : : आदेश : : –

यत् वादीगण का वाद घोषणा हक खातेदारी एवं बंटवारा अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 स्वीकार किया जाकर निम्न प्रकार से अंतिम डिक्री किया जाता है।

1. **यह है कि मौजा बोसेरी के खेत खसरा नंबर 241/104, 356/104, 357/187 में वादी कानदास व प्रतिवादी संख्या 1 से 5 कमशः छोटूदास, श्रवणकुमार, मदनलाल , सत्यनारायण, पुखराज, हनुमानदास को प्रतिवादी संख्या 6 हनुमानदास के साथ सहखातेदार घोषित किया जाता है।**

निर्णय आज दिनांक 17.11.2021 को मेरे हस्ताक्षर द्वारा न्यायालय की मुद्रा से जारी कर सरे इजलास सुनाया गया।

17-11-2021
(रवीन्द्र कुमार)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
जायल

Scanned with CamScanner

राजस्व वाद 243/2021
जीसीएमएस नंबर–
कानदास बनाम् छोटूराम

अंतिम डिक्री व मुकदमे इब्तदाई
(आर्डर 21 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)
अज अदालत सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी जायल जिला–नागौर,
व इजलास रवीन्द्र कुमार, आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :243/2021

वादीगण–

1. कानदास पुत्र हनुमानदास , जाति–साद निवासी– बोसेरी, तहसील जायल (नागौर)

बनाम

प्रतिवादीगण –

1. छोटुदास पुत्र हनुमानदास
2. श्रवण कुमार पुत्र हनुमानदास
3. मदनलाल पुत्र हनुमानदास
4. सत्यनारायण पुत्र हनुमानदास
5. पुखराज पुत्र हनुमानदास
6. हनुमानदास पुत्र रामसुखदास
   निवासीगण–बोसेरी, जातियान–साद, तहसील–जायल, नागौर।
7. तहसीलदार जायल जरिये सरकार।

उपस्थिति :–

1. श्री रामप्रकाश बेंदा अधिवक्ता वादी की ओर से
2. श्री गोविन्दराम ढाका अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 1 से 6 की ओर से।
3. प्रतिवादी संख्या 7 राजपैरोकार उपस्थित

दावा अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

– : : डिक्री आदेश : : –

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल तई रूबरू हमारे व श्री रामप्रकाश बेंदा अधिवक्ता वादी मिनजानिब मुददई प्रतिवादी संख्या 1 से 6 हाजरी श्री गोविन्दराम ढाका अधिवक्ता व प्रतिवादी संख्या 7 पैरोकार उपस्थित मिनजानिब मुददायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि – यत् वादीगण का वाद घोषणा हक खातेदारी एवं बंटवारा अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 स्वीकार किया जाकर निम्न प्रकार से अंतिम डिक्री किया जाता है।

1. **यह है कि मौजा बोसेरी के खेत खसरा नंबर 241/104, 356/104, 357/187 में वादी कानदास व प्रतिवादी संख्या 1 से 5 कमशः छोटूदास, श्रवणकुमार, मदनलाल , सत्यनारायण, पुखराज, हनुमानदास को प्रतिवादी संख्या 6 हनुमानदास के साथ सहखातेदार घोषित किया जाता है।**

17.11.2021

(रवीन्द्र कुमार)
सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
जायल–(नागौर)

सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ.) जायल

Scanned with CamScanner

राजस्व वाद 243/2021
जीसीएमएस नंबर–
कानदास बनाम् छोटूराम

तीज –

मुबलिग – **बाबत्** –खर्चा इस मुकद्दमे के मय व भारह – सालाना आज की तारीख में तारीख वसूलयाबी तक – की अदा करें। बवक्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 17.11.2021 को जारी की गई।

मुदायराह	रूपया	पैसे	मुदायराह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			वजह सबूत महनताना वकील		
महनताना वकील			खर्चा गवाहान		
फीस कमिश्नर			फीस कमिश्नर		
बाबत् इजराज हुक्मनामा			बाबत् हुराय हुक्मनामा		
मुतफरिक			मुतफरिक		
			दर0 तलबाना		
मिजान			मिजान		

नोट :–इस वर्ष के फार्म पर कुल खर्चा हाजरी हर दो फरीकेन का, चाहे डिकरे के जरिये दिलाया गया हो, या नही, दर्ज करना चाहिये।

17.11.2021

(रवीन्द्र कुमार)
सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
जायल (नागौर)

सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ.) जायल

Scanned with CamScanner